

वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर

प्रेषक,

कुलसचिव,
वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय,
जौनपुर।



पत्रांक: पू.वि.वि./सम्बद्धता/2024/2433
दिनांक: 30.07.24

सेवा में,

प्रबन्धक,
डॉ० शिव प्रसाद राजपति महाविद्यालय,
दरीबा, जफराबाद, जौनपुर।

विषय:-स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत प्राचार्य पद पर चयनित अभ्यर्थी के अनुमोदन के सन्दर्भ में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र दिनांक-03.07.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, इस सन्दर्भ में सूचित करना है कि चयन समिति द्वारा की गयी संस्तुति एवं आप द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के आधार पर विचारोपरान्त कुलपति महोदय ने शासनादेश दिनांक-09 मई 2000, 31 दिसम्बर 2010 एवं 25 नवम्बर 2013 के आलोक में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत 03 अथवा 05 वर्ष की संविदा के आधार पर प्राचार्य पद पर चयनित अभ्यर्थी के अनुमोदन की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान कर दी है कि इनके अंक-पत्रों/प्रमाण-पत्रों का सत्यापन नियोक्ता अपने स्तर से कराकर अभिलेख अपने पास सुरक्षित रखें। महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों में यदि कोई त्रुटि पायी गयी तो उसके लिये महाविद्यालय प्रशासन जिम्मेदार होगा तथा उक्त चयनित अभ्यर्थी अन्य महाविद्यालयों में कार्यरत/ अनुमोदित पाये गये तो उनका अनुमोदन स्वतः निरस्त समझा जाएगा।

नाम	पिता/पति का नाम	जन्मतिथि	शैक्षिक अर्हता	पद
डॉ० राजीव पाण्डेय	श्री कन्हैया पाण्डेय	01.07.1974	एम0ए0, पी-एच0डी0	प्राचार्य

अतः उपरोक्त को सुसंगत शासनादेशों के आलोक में नियुक्ति पत्र निर्गत कर, नियुक्ति पत्र की प्रति एवं संविदा पत्र की प्रति प्राचार्य एवं प्रबन्धक के स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एवं आधार कार्ड/पैन कार्ड संख्या सहित अभिलेख हेतु विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराये तथा इसके साथ यह भी सूच्य है कि अनुबन्ध पत्र में उनको दिये जाने वाले वेतन आदि का स्पष्ट उल्लेख हो तथा वेतन एकाउन्टपेयी चेक द्वारा ही भुगतान किया जाय तथा प्राचार्य के लिए अंशदायी भविष्य निधि (कान्फ़ीडरि प्राविडेण्ट फण्ड) अनिवार्य रूप से लागू किया जाय। उक्त अनुमोदन पी-एच.डी. प्रमाण पत्र के सत्यापन के अधीन, किया जाता है।

भवदीय

कुलसचिव
30/7/24

वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर

प्रेषक,

कुलसचिव,
वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय,
जौनपुर।



पत्रांक: पू.वि.वि./सम्बद्धता/2024/ 2223
दिनांक: 23.07.24

सेवा में,

प्रबन्धक,
डॉ० शिव प्रसाद राजपति महाविद्यालय,
दरीबा, जफराबाद, जौनपुर।

विषय:—नवगठित प्रबन्ध समिति के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र दिनांक 25.06.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। इस सन्दर्भ में सूचित करना है कि डॉ० शिव प्रसाद राजपति महाविद्यालय, दरीबा, जफराबाद, जौनपुर की दिनांक 16.06.2024 को नवगठित प्रबन्ध समिति को महाविद्यालय की प्रशासन योजना के अनुसार पाँच वर्ष हेतु (दिनांक 18.06.2023 से 17.06.2028 तक), कुलपति जी ने विचारोपरान्त उपलब्ध करोय गये अभिलेखों के आधार पर उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 2(13) के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रबन्ध समिति को मान्यता प्रदान करने की कृपा की है -

क्र.सं.	नाम	पिता/पति का नाम	पता	पद नाम
1	श्री गजराज यादव	स्व० मखोदर यादव	ग्राम-सहजरा, पोस्ट-सुदनीपुर, जौनपुर	अध्यक्ष
2	श्री शिव प्रसाद यादव	स्व० राजपति यादव	ग्राम-सादीपुर, पोस्ट-सरकोनी, जौनपुर	प्रबन्धक
3	श्री इन्द्र भुवन यादव	श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव	ग्राम-लाजीपार, पोस्ट-मीठेपुर, जौनपुर	कोषाध्यक्ष
4	श्री विकास यादव	श्री रामशिरोमणि यादव	ग्राम व पोस्ट- पाली, जौनपुर	सदस्य
5	श्री कमलेश यादव	स्व० बाबू राम यादव	ग्राम-मिसिदियापुर, पोस्ट-मछलीशहर, जौनपुर	सदस्य

उपरोक्त प्रबन्ध समिति में प्राचार्य पदेन सदस्य होंगे तथा शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व चक्रानुक्रम में ज्येष्ठता क्रम में सम्बद्ध परिनियमों में अधिकथित प्राविधानों के अनुसार होगा।

भवदीय,

कुलसचिव
22/7/24